

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 2013

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' (हिंदी) पद भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय ज्येष्ठ सहायक (हिंदी) और सहायक (हिंदी) पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक (हिंदी) और सहायक (हिंदी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पद नाम संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पद नाम, संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ सहायक (हिंदी)	19* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300—34800 + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	---	-------------------------------

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।

(10)	(11)
------	------

प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति : ऐसे सहायक (हिंदी) जिनकी वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा है ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पूर्व वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)	(13)
------	------

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

- मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान और विकास) रक्षा —अध्यक्ष
अनुसंधान और विकास संगठन
- निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा —सदस्य
अनुसंधान और विकास संगठन
- अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक (हिंदी)	66* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड- 2 9300— 34800 + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
<p>टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>					

(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक :</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या हिन्दी में मास्टर डिग्री जो डिग्री स्तर पर हिन्दी या अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के साथ हो।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जो डिग्री स्तर पर हिन्दी परीक्षा एवं अनुदेश के माध्यम के रूप में तथा अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में के साथ हो।</p> <p>या</p> <p>हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषयों के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा मुख्य विषय के रूप में के साथ बैचलर डिग्री और हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम भी है हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिये दो वर्ष

(7)

विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या

(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा हैं; और

(ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव धारित करता हो ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या पूर्व वह तारीख जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई हैं नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है, जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)

समूह “ख” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. मुख्य नियंत्रक (अनुसंधान और विकास) रक्षा —अध्यक्ष
अनुसंधान और विकास संगठन
2. निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य
निदेशालय
3. अवर सचिव, रक्षा (अनुसंधान और विकास) —सदस्य
रक्षा मंत्रालय

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 27th May, 2013

S.R.O. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence Group 'C' (Hindi) post Recruitment Rules 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to posts specified in Schedule annexed to these rules.

3. Name of the Post, Number, classification, pay band and grade pay/pay scale.— The name of the posts, number their classification, pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Assistant (Hindi)	19* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gzatted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 Plus grade pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)	(11)
By Promotion	<p>Promotion : Assistant (Hindi in the pay scale, Rs. 9300–34800 in the grade pay of Rs. 4200 in PB-2 with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> Chief Controller (Research & Development) Defence Research and Development Organisation —Chairman Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research Development Organisation —Member An officer not below the rank of Under Secretary, D(R&D) Min. of Defence —Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant (Hindi)	66* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants's upto five years accordance with the instruc- tions or order issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : Master's degree of a recognized university in English/ Hindi with Hindi/English as compulsory/elective subject at the degree level : OR Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi as the medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at degree level : OR Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi and English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi English and vice versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertakings. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled	Not applicable	Two years for direct recruits.

(7)

Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

By direct recruitment failing which by deputation

(11)

Deputation :—Officers under Central Government :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; Or

(ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2400 in PB-1 OR equivalent in the parent cadre or department and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 1 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six (The date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit extend only for the posts for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for consideration confirmation) consisting of :

1. Chief Controller (Research & Development)
Defence Research and Development
Organisation —Chairman
2. A Director from Defence Research
Development Organisation —Member
3. Under Secretary, Min. of Defence,
Defence (Research & Development) —Member

(13)

Consultation with Union Public Service
Commission not necessary.

[F. No. DHRD/76239/RRs/HINDI/C/P/02]

S. D. BHASOR, Under Secy.